डॉ. सतीश पूनियां की पुस्तक का विमोचन गुलाबचंद कटारिया, मदन राठौड़, राजेन्द्र राठौड़, टीकाराम जूली और बरजी बाई भील ने किया

राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया राजनीति के आदर्श हैं, सतीश पूनियां कुशल संगठनकर्ता हैं, पार्टी मजबूती के लिए प्रदेश में उन्होंने खूब काम किया : भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। भाजपा हरियाणा प्रभारी एवं भाजपा राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां की विधायक कार्यकाल (2018-2023) पर आधारित पुस्तक 'अग्निपथ नहीं जनपथ' (संवाद से संघर्ष) का विमोचन पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया, भाजपा राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और भीलवाड़ा जिला प्रमुख बरजी बाई भील ने किया। पुस्तक 'अग्निपथ नहीं जनपथ' पुस्तक का लोकार्पण और कृति चर्चा जयपुर के कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में आयोजित हुई।

भाजपा हरियाणा प्रभारी एवं भाजपा राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां की विधायक कार्यकाल (2018-2023) पर आधारित पुस्तक 'अग्निपथ नहीं जनपथ' (संवाद से संघर्ष) का विमोचन पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और भीलवाड़ा जिला प्रमुख बरजी बाई भील ने किया।

- **सतीश पूनियां के प्रोग्राम में यह जानने आया हूँ कि कांग्रेस हरियाणा में चुनाव कैसे हारी : टीकाराम जूली**
- **संगठन की मजबूती के लिये मैंने सतीश पूनियां को पदयात्राएं और संघर्ष करते देखा है : कटारिया**
- **भाजपा राजस्थान अध्यक्ष रहते हुए सतीश पूनियां ने जिन जनमुद्दों के लिये सड़क पर संघर्ष किया, आज उन्हीं की बुनियाद पर भाजपा की भजनलाल सरकार का जन्म हुआ : राजेन्द्र राठौड़**

राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि संगठन की मजबूती के लिये मैंने सतीश पूनियां को पदयात्राएं और संघर्ष करते देखा है। विद्यार्थी परिषद लेकर युवा मोर्चा और भाजपा संगठन के लिये जमीन पर मेहनत करते देखा है। राजनीति में हार-जीत नहीं, बल्कि जनहित के लिए किया गया कार्य ही पहचान बनाता है। जो अग्निपथ से गुजरता है वही जनपथ को समझता है। विचार भले अलग हों, लेकिन सौहार्द बना रहना चाहिए।

कटारिया ने कहा कि यह पुस्तक लिखकर सतीश पूनियां ने लोकतंत्र की खूबसूरती के लिये ऐतिहासिक कार्य किया है और वह खुद इस पुस्तक से इतने प्रभावित हैं कि उन्हें भी पुस्तक लिखने की प्रेरणा मिली है, क्योंकि इस पुस्तक के माध्यम से राजस्थान विधानसभा की कार्यप्रणाली, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका, स्पीकर की भूमिका, राजस्थान विधानसभा से जुड़ी हर प्रक्रिया के बारे में जो जानकारी दी गई है, वह वास्तव में अपने आप में एक बड़ा कार्य है और इसके लिए सतीश पूनियां धन्यवाद के पात्र है। इस पुस्तक से आमजन को भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा, विधानसभा के बारे में उन्हें अच्छी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा नए विधायकों और जो युवा राजनीति में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उन्हें काफी कुछ इस पुस्तक से सीखने को मिलेगा। कटारिया ने कहा कि, सतीश पूनियां ने इस पुस्तक का विमोचन मेरे हाथों से करवाया, यह भी उनके इतने बड़े राजनीतिक जीवन में सबसे बड़ा सुखद क्षण है।

मदन राठौड़ ने कहा कि "राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया राजनीति के आदर्श हैं, सतीश पूनियां कुशल संगठनकर्ता हैं, पार्टी की मजबूती के लिये प्रदेश में उन्होंने खूब काम किया है। सतीश पूनियां की कई खूबियों का तो मुझे पहले से पता था, लेकिन यह किताब देखकर आज महसूस हुआ कि वे अच्छे लेखक भी हैं।"

पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि, "अग्निपथ पर तपे बिना जनपथ नहीं मिलता, अग्निपथ पर चलकर जो कुंदन की तरह तपता है, वही जनपथ तक पहुंचता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी अग्निपथ पर चलकर देश के शीर्ष तक पहुंचे है। जिन मुद्दों को भाजपा राजस्थान अध्यक्ष रहते हुए सतीश पूनियां ने सड़क पर संघर्ष करते हुए जन मुद्दे बना दिए, आज उन्हीं की बुनियाद पर हमारी भाजपा की भजनलाल सरकार का जन्म हुआ है।

राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि, टीकाराम जूली ने कहा कि हरियाणा के लोगों का मस्तमौला स्वभाव होता है और आजकल यही स्वभाव सतीश पूनियां का भी हो गया है।

मैं खास कर सतीश पूनियां के प्रोग्राम में यह जानने आया हूँ कि हम हरियाणा चुनाव कैसे हारे, सब कह रहे थे कांग्रेस जीत रही हैं, जीत रही है, लेकिन फिर हरियाणा में हारी कैसे कांग्रेस यह आज तक पता नहीं चल पाया ? जूली ने कहा कि, सतीश पूनियां, राजेंद्र राठौड़, गुलाबचंद कटारिया और घनश्याम तिवाड़ी जैसे नेताओं को वह काफी मिस करते हैं विधानसभा में, क्योंकि इन नेताओं से उन्होंने काफी कुछ सीखा है। इन नेताओं का विधानसभा में समय पर आना समय पर जाना प्रत्येक बैठक में शामिल होना, प्रत्येक मुद्दे पर तथ्यात्मक तरीके से अपनी बात कहना सदन की मर्यादाओं का ध्यान रखना।

स्कूल के टॉयलेट में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास

बच्ची के शोर मचाने पर स्कूल स्टाफ मौके पर पहुंचा और आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया

जयपुर। गांधी नगर इलाके में एक स्कूल के टॉयलेट में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने का प्रयास का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया। बच्ची के शोर मचाने पर स्कूल स्टाफ मौके पर पहुंचा और आरोपित को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस संबंध में बच्ची के पिता ने थाने में मामला दर्ज करवाया है कि शनिवार को उसकी बच्ची स्कूल गई थी। टॉयलेट जाने पर एक युवक दीवार फांदकर अंदर आया और उसने बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास किया। बच्ची के शोर मचाने पर स्टाफ पहुंचा और आरोपित को पकड़ लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

थानाधिकारी भजनलाल ने बताया कि मामला भारतीय न्याय संहिता-2023, पॉक्सो एक्ट और एससी-एसटी एक्ट की धाराओं में दर्ज किया गया है। वहीं जांच गांधीनगर एसीपी नारायण कुमार बाजिया को सौंपी गई है। पुलिस आरोपित से पूछताछ कर रही है और मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। पुलिस ने बच्ची का मेडिकल मुआयना करवाया है। पुलिस का कहना है कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए सभी कानूनी कार्रवाई तेजी से की जा रही है।

मोबाइल चुराने वाला गिरफ्तार

जयपुर। खोह नागोरियान थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोबाइल चोरी करने वाले एक मोबाइल चोर को गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी के 21 मोबाइल भी बरामद किए गए है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व संजीव नैन ने बताया कि खोह नागोरियान थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घर मे घुस कर मोबाइल चुराने वाले आरोपित साहिल कुरैशी उर्फ सोहिल उर्फ खट्टन निवासी ट्रांसपोर्ट नगर जयपुर को गिरफ्तार किया है।

एच.के. फाइनेंसर्स प्राइवेट लिमिटेड
सीआईएन: U99999RJ1993PTC035285
रजि. कार्यालय: 'राधे-राधे', डी-103, यशोदा पथ, श्याम नगर, जयपुर-302019 (राज.)
ईमेल आईडी: hkfinancierspvtltd@gmail.com संपर्क नंबर: 9799942106

संयुक्त सार्वजनिक सूचना

[मास्टर निर्देश के पैराग्राफ 42.3 के अनुसार - भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - स्केल आधारित विनियमन) निर्देश, 2023 (जिसे आगे "निर्देश" कहा जाएगा) संदर्भ संख्या DoR.FIN. REC.NO.45/ 03.10.119/2023-24, दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 (समय-समय पर अद्यतन)]।

यह नोटिस एच.के. फाइनेंसर्स प्राइवेट लिमिटेड **("कंपनी")** द्वारा श्री दीपेंद्र सिंह **("निवेशक 1")**, श्री पराक्रम सिंह राठौर **("निवेशक 2")**, श्रीमती विजय लक्ष्मी शेखावत **("निवेशक 3")**, श्रीमती कनिका सिंह **("निवेशक 4")**, मेसर्स गैलेक्सी प्राइम प्राइवेट लिमिटेड **("निवेशक 5")** (सामूहिक रूप से **"प्रस्तावित निवेशक"** के रूप में संदर्भित), श्रीमती कुसुम गनेरीवाला **("हस्तांतरक 1")** और श्री आदर्श गनेरीवाला **("हस्तांतरक 2")** (सामूहिक रूप से **"प्रस्तावित हस्तांतरक"** के रूप में संदर्भित) निर्देशों के पैराग्राफ 42.3 के अनुसार संयुक्त रूप से जारी किया जा रहा है।

पृष्ठभूमि: कंपनी एक निजी लिमिटेड कंपनी है जो गैर-जमा लेने वाली गैर-प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकृत है, जिसे आरबीआई द्वारा निर्देशों के तहत **बेस लेयर में एनबीएफसी-निवेश और क्रेडिट कंपनी (एनबीएफसी-आईसीसी)** के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक **("आरबीआई")** के साथ पंजीकरण प्रमाणपत्र के माध्यम से पंजीकृत है, जिसका नंबर B-10.00222 है, जिसका CIN: U99999RJ1993PTC035285 है और इसका पंजीकृत कार्यालय 'राधे-राधे', डी-103, यशोदा पथ, श्याम नगर, जयपुर-302019 (राजस्थान) में है। कंपनी निवेश और ऋण के कारोबार में लगी हुई है। **निवेशक 1** श्री दीपेंद्र सिंह, पुत्र श्री सुरेंद्र सिंह, ए-181, तारानगर-ए, यमुना पथ, झोटवाड़ा, जयपुर-302012 (राजस्थान) में रहते हैं; **निवेशक 2** श्री पराक्रम सिंह राठौड़, पुत्र श्री राजेंद्र राठौड़ हैं, जो 54, गीता पथ, सूरज नगर-पश्चिम, सिविल लाइन्स, सोडाला, जयपुर-302006 (राजस्थान) में रहते हैं; **निवेशक 3** श्रीमती विजय लक्ष्मी शेखावत, पत्नी श्री दीपेंद्र सिंह हैं, जो प्लॉट नंबर 32, तारानगर-ए, यमुना पथ, झोटवाड़ा, जयपुर-302012 (राजस्थान) में रहती हैं; **निवेशक 4** श्रीमती कनिका सिंह, पत्नी श्री पराक्रम सिंह राठौड़ हैं, जो 54, गीता पथ, सूरज नगर-पश्चिम, सिविल लाइन्स, सोडाला, जयपुर-302006 (राजस्थान) में रहती हैं; **निवेशक 5** मेसर्स गैलेक्सी प्राइम प्राइवेट लिमिटेड है (CIN: U14299RJ2021PTC077366) जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नंबर 8, वैशाली नगर एन्क्लेव योजना, वैशाली नगर, जयपुर-302021 (राजस्थान) में है, जो टोल संग्रह के व्यवसाय में लगा हुआ है; **स्थानांतरणकर्ता 1** श्रीमती कुसुम गनेरीवाला, पत्नी स्वर्गीय श्री हेमंत कुमार गनेरीवाला हैं, जो 'राधे-राधे', डी-103, यशोदा पथ, श्याम नगर, जयपुर-302019 (राजस्थान) में रहती हैं; **स्थानांतरणकर्ता 2** श्री आदर्श गनेरीवाला, पुत्र स्वर्गीय श्री हेमंत कुमार गनेरीवाला हैं, जो 'राधे-राधे', डी-103, यशोदा पथ, श्याम नगर, जयपुर-302019 (राजस्थान) में रहते हैं।

प्रस्तावित लेनदेन: प्रस्तावित निवेशक प्रस्तावित हस्तांतरकों से शेयरों के हस्तांतरण के माध्यम से कंपनी की चुकता पूंजी के 100% शेयरधारिता का अधिग्रहण करना चाहते हैं। इसके परिणामस्वरूप कंपनी की शेयरधारिता में 26% से अधिक का परिवर्तन होगा, इसलिए निदेशों के पैरा 42 के तहत आरबीआई की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।

आरबीआई की स्वीकृति: निदेशों के अनुसार, आरबीआई ने कंपनी को जारी दिनांक 9 अक्टूबर, 2025 के अपने पत्र, संदर्भ संख्या S493/01.13.049/2025-26 के माध्यम से, प्रस्तावित निवेशकों द्वारा 100% शेयरधारिता के प्रस्तावित अधिग्रहण हेतु कंपनी के नियंत्रण में परिवर्तन हेतु अपनी पूर्व लिखित स्वीकृति प्रदान की है।

प्रस्तावित लेनदेन निदेशों के पैरा 42.3 के प्रावधानों के अनुसार, इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 (तीस) दिनों की समाप्ति पर प्रभावी होगा।

प्रस्तावित लेन-देन पर कोई भी स्पष्टीकरण चाहने वाला और/या कोई आपत्ति रखने वाला कोई भी व्यक्ति इस सूचना की तिथि से 30 (तीस) दिनों के भीतर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के पते पर निदेशक श्रीमती कुसुम गनेरीवाला को पत्र लिख सकता है या hkfinancierspvtltd@gmail.com पर ईमेल कर सकता है।

इस सूचना की एक प्रति कंपनी के पंजीकृत कार्यालय 'राधे-राधे', डी-103, यशोदा पथ, श्याम नगर, जयपुर-302019 (राजस्थान) में भी उपलब्ध है।

एसडी/-	एसडी/-	एसडी/-	एसडी/-
एच.के. फाइनेंसर्स प्राइवेट लिमिटेड	**दीपेंद्र सिंह**	**पराक्रम सिंह राठौड़**	**कुसुम गनेरीवाला**
एसडी/-	एसडी/-	एसडी/-	एसडी/-
विजय लक्ष्मी शेखावत	**श्रीमती कनिका सिंह**	**गैलेक्सी प्राइम प्राइवेट लिमिटेड**	**आदर्श गनेरीवाला**

राजपूत सभा की प्रतिनिधि बैठक संपन्न

जयपुर। श्री राजपूत सभा, जयपुर के सत्र 2025-28 की प्रथम प्रतिनिधि सभा की बैठक रविवार को जगतपुरा स्थित सभा छात्रावास में कार्यकारी सभापति राम सिंह चंदलाई की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सभा के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 16 जिलों से बड़ी संख्या में प्रतिनिधि और आजीवन सदस्य उपस्थित रहे। इस दौरान विगत छह माह में संगठन द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों, राहत अभियानों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई।

नाम संशोधन

मैं राजेश पुत्र श्री रूप सिंह आयु 38 साल जाति गुर्जर निवासी तिघरिया तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान आधार कार्ड नम्बर 546325682153 शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि विजय लक्ष्मी मेरी सगी पुत्री है। जिसकी जन्म तिथि 24-05-2008 है। यह कि मेरी पुत्री के आधार कार्ड में गलती से पुष्पेन्द्र हो गया है जो कि गलत है। मेरी पुत्री का स्कूल के दस्तावेजों में सही नाम विजय लक्ष्मी है। जबकि आधार कार्ड में पुष्पेन्द्र है जो कि गलत है। विजय लक्ष्मी और पुष्पेन्द्र दोनों मेरी पुत्री के नाम है। मैं मेरी पुत्री का आधार कार्ड में सही नाम विजय लक्ष्मी संशोधित करवाना चाहता हूं। भविष्य में मेरी पुत्री को विजय लक्ष्मी के नाम से जाना जावें।

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम संख्या-2 जयपुर महानगर जयपुर प्रथम।
विजय प्रकाश शर्मा
विरुद्ध
श्रीमती उषा शर्मा व अन्य
वाद बाबत बंटवारा, निरस्त किए जाने वसीयतनामा दिनांक 14.07.2000 (चौदह सात दो हजार) व स्थाई निषेधाज्ञा
वाद संख्या 236 सन् 2025
विजय प्रकाश शर्मा पुत्र स्व. श्री हरीप्रसाद शर्मा, उम्र-72 (बहत्तर) वर्ष, जाति-ब्राह्मण, निवासी-प्लॉट नम्बर-9 (नौ) शिवपुरी, सोडाला, जयपुर, राजस्थान।।
बनाम
1. प्रतिवादी संख्या-2 श्रीमती इच्छा शर्मा पुत्री स्व. श्री हरीप्रसाद शर्मा पत्नी श्री राजेन्द्र शर्मा उम्र-75 (पचहत्तर) वर्ष, जाति-ब्राह्मण, निवासी कृष्णापुरी, बिड़ला मंदिर के पास, वृन्दावन रोड़, मथुरा, उत्तर प्रदेश व निवासी प्लॉट नम्बर-9 (नौ) शिवपुरी, सोडाला, जयपुर, राजस्थान।
2. प्रतिवादी संख्या-4 श्रीमती प्रभाव शर्मा पुत्री स्व. श्री हरीप्रसाद शर्मा पत्नी श्री संदीप शर्मा उम्र-62 (बासठ) वर्ष, जाति-ब्राह्मण, निवासी सेठी कॉलोनी, उज्जैन, मध्यप्रदेश व निवासी-प्लॉट नम्बर-9 (नौ) शिवपुरी, सोडाला, जयपुर, राजस्थान।
आपके विरूद्ध के लिए वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में ता0 16 माह 10 सन् 2025 को दिन में 10:30 बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिए वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडन द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिए गए हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सकें। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल / सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति मे हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह वाद ता. 7 माह 10 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
आज्ञा से-वरिष्ठ रीडर
मोहर **अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-02, जयपुर महानगर-प्रथम**

नम्बर मिलाइए 9587884433

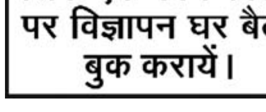

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 396/2024
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री दानिश अख्तर निवासी बी-2, चन्द्र महल कॉलोनी चीनी की बुर्ज, त्रिपोलिया बाजार जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत रहमानी वेलफेयर सोसायटी, 1463 रामगंज बाजार जयपुर ने राजस्थान के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 16.9.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइंदा तारीख पेशी 20.11.2025
मोहर अदालत **सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर**

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती इंगले कोमल अमोल पत्नी 15428697P हवलदार इंगले अमोल आनंदा निवासी एम.एच. जयपुर, ने अपना नाम श्रीमती इंगले कोमल अमोल से बदलकर इंगले कोमल अमोल कर लिया है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जयपुर के समक्ष दिनांक 08.10.2025 को दिए गए हलफनामे के अनुसार है।

मैं, 15428697P हवलदार इंगले अमोल आनंदा निवासी एम.एच. जयपुर, मेरे सेवारिकॉर्ड मे मेरे माता-पिता का नाम गोकुला और इंगले आनंदा धुराजी गलत दर्ज है। जबकी सही नाम गोकुला आनंदा इंगले और आनंदा धुलाजी इंगले है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जयपुर के समक्ष दिनांक 08.10.2025 को दिए गए हलफनामे के अनुसार है।

I Raajbala Shekhawat spouse of 640387H JWO Rampal Singh Shekhawat resident of 20 Sangam Colony Sikar road Jaipur 302013 have changed my name from Raajbala Shekhawat to Rajbala Shekhawat vide Affidavit dated 09.10.2025 at SDM Jaipur City (North).

I ic/army no 14439410W Ex Hav (MACP NB SUB) Sita Ram Sharma S/O chotu Ram Sharma resident of vpo manpura macheri via morija tehsil Amer jaipur rajasthan that i want to change my dependent name/DOB from ANKIT KUMAR (DOB 17/06/2006) To ANKIT KUMAR SHARMA (17/07/2006) vide affidavit dated 8oct 2025 before sub divisional majistrate Jaipur north

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में अंत्योदय का संकल्प हो रहा साकार

वंचितों और जरूरतमंद को सुनिश्चित हो रही गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में महिला, युवा, मजदूर और किसान के कल्याण की दिशा में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों से अंत्योदय का सपना तेजी से साकार हो रहा है। शिक्षा से लेकर चिकित्सा जैसे अहम क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण सेवाओं और सुविधाओं की उपलब्धता ने गांव-ढाणी और कस्बों में अंतिम पायदान के व्यक्ति तक बड़ी राहत पहुंचाने का कार्य किया है। शर्मा के मार्गदर्शन में प्रदेश 'निरामय राजस्थान' के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना अहम भूमिका निभा रही है और जरूरतमंद व वंचित वर्ग तक उपचार सुनिश्चित कर रही है। योजना के अन्तर्गत कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए 73 डे केयर पैकेजेज, शिशुओं के उपचार हेतु 419 पेडियाट्रिक्स पैकेज और 8 लाख वरिष्ठ नागरिकों के लिए कैशलेस उपचार उपलब्ध करवाया जा रहा हैं। साथ ही, मा वाउचर योजना में 25 हजार गर्भवती महिलाओं को प्रतिमाह 1363 अधिकृत निजी सोनोग्राफी केन्द्रों के माध्यम से निःशुल्क सेवाएं दी जा रही हैं। इसके तहत 2.48 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं को क्यू आर कोड जनित कूपन जारी किये जा चुके है।

अंत्योदय की संकल्पना को साकार करने में 'लाडो प्रोत्साहन योजना' भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना में गरीब परिवारों में बालिका के जन्म पर 1 लाख 50 हजार रुपये का सेविंग बॉण्ड उपलब्ध कराया जा रहा है। योजनान्तर्गत अब तक लगभग 4 लाख 18 हजार बालिकाओं को प्रथम किशत से लाभान्वित किया जा चुका है।

महिलाओं को सम्बल प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा संचालित "प्रधानमंत्री उज्जवला योजना" तथा बीपीएल श्रेणी के परिवारों को रसोई गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना में 450 रुपये मात्र में एलपीजी सिलेण्डर उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए प्रदेश में अन्य पात्र परिवारों को भी लाभान्वित करने के लिए 'मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना' लागू की है। इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चिन्हित शेष 67.97 लाख परिवारों को भी 450 रुपये में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। सितम्बर, 2024 से अब तक 558 करोड़ रुपये सब्सिडी राशि का भुगतान किया जा चुका है।

राज्य सरकार द्वारा संचालित श्री अन्नपूर्णा रसोइयों में मोटा अनाज (बाजरा, ज्वार व अन्य मिलेट्स) को भोजन में शामिल किया गया। भोजन थाली का वजन 450 ग्राम से बढ़ाकर 600 ग्राम किया गया हैं। राजकीय अनुदान राशि 17 रुपये से बढ़ाकर 22 रुपये प्रति थाली किया गया है। श्री अन्नपूर्णा रसोई (ग्रामीण) में अब तक 4.30 करोड़ और श्री अन्नपूर्णा रसोई (शहरी) में 8.87 करोड़ भोजन थाली परोसी गई हैं।श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्स एवं लोक कलाकारों के लिए 'मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना' के तहत 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 3 हजार रुपये मासिक पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना (प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेण्डर आत्म निर्भर निधि योजना) अन्तर्गत 1 लाख 89 हजार व्यक्तियों को ऋण जारी किए गए, जिनमें 1 लाख 89 हजार व्यक्तियों को प्रथम ऋण, 49 हजार 420 व्यक्तियों को द्वितीय ऋण तथा 5 हजार 468 को तृतीय ऋण वितरित किए गए हैं। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना में असंगठित क्षेत्र के 1 हजार 271 श्रमिकों को लाभान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत 5 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाकर 343 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं।

स्थायी आश्रय और आवास से वंचित डिनोटीफाइड ट्राइब्स के परिवारों हेतु मुख्यमंत्री घुमन्तू आवासीय योजना 22 अक्टूबर 2024 को लागू की गई। नमस्ते योजना में 2 हजार 967 सफाई कर्मचारियों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया गया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल के माध्यम से पेंशन योजनाओं के आवेदन प्रस्तुत करने से लेकर प्रति माह भुगतान करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पेपरलेस की गई।

अल्प आय वर्ग के बुजुर्ग व्यक्तियों, विधवाओं, एकल नारियों, दिव्यांग व्यक्तियों तथा लघु एवं सीमान्त कृषकों को देय पेंशन को बढ़ाकर 1250 रुपये प्रतिमाह किया गया। वहीं, आरटीई के तहत शैक्षिक सत्र 2024-25 में लगभग 2 लाख 4 हजार नव प्रवेशित विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया एवं निजी विद्यालयों को करीब 968 करोड़ रुपये की फीस का पुनर्भरण किया गया।

सुमंगल दीपावली मेला संपन्न

जयपुर। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका), ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आयोजित सुमंगल दीपावली मेला 2025 का रविवार को समापन समारोह इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर में आयोजित हुआ। समारोह की अध्यक्षता परियोजना निदेशक (प्रशासन) प्रीति सिंह ने की। इस अवसर पर ज़िला परियोजना प्रबंधक, जयपुर, तथा राजीविका के अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्य उपस्थित रहीं। मेले में सक्रिय भागीदारी करने वाली स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। साथ ही सर्वश्रेष्ठ बिक्री उत्पाद और फूड स्टॉल श्रेणियों में पुरस्कार भी वितरित किए गए। सर्वश्रेष्ठ विक्रेता श्रेणी में प्रथम पुरस्कार गोविंग स्वयं सहायता समूह, जयपुर (ब्लू पॉटरी) को द्वितीय पुरस्कार चामुंडा स्वयं सहायता समूह, बाड़मेर (कशीदाकारी उत्पाद), और तृतीय पुरस्कार श्री गणेश स्वयं सहायता समूह, जयपुर (बगरू प्रिंट उत्पाद) की मिला।

लोक सूचना **जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर**
क्रमांक: 90A/JDA/2025-26/100201 दिनांक: 26.09.2025
श्री KAMLESH KUMAR MEENA पुत्र श्री BHORI LAL MEENA, श्री KRISHAN KUMAR MEENA पुत्र श्री BHORI LAL MEENA [illegible]

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हैक्टे.)	रूपांतरण क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1	दांतली, सांगानेर (जयपुर)	1. कमलेश कुमार मीणा पुत्र भौरीलाल हिस्सा 1/2 2. कृष्ण कुमार मीणा पुत्र भौरीलाल हिस्सा 1/2 जाति मीणा सा. देह खातेदार	1349/184	0.19	0.19
			कुल		0.19

[illegible]
प्राधिकृत अधिकारी जोन-09

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य मो. शब्बीर खान पुत्र श्री गनी खा, आयु 44 वर्ष, जाति-मुसलमान निवासी सर्वे नं. 14. शिवाजी नगर, कच्ची बस्ती, शास्त्रीनगर, जयपुर (राजस्थान) का है जिसके तीन संतानो में से हारून कहने में नही है, वह अपनी मनमर्जी और गलत हरकतो की वजह से मेरे अभिभाष्य की पारिवारिक साख को धूमिल कर उससे गाली-गलोच कर हमेशा मारपीट पर आमादा रहता है। जिस कारण मेरे अभिभाष्य ने अपने पुत्र हारून को अपनी समस्त चल व अचल सम्पतियो से बेदखल करते हुये उससे अपने सम्बन्ध समाप्त कर लिये है। भविष्य में कोई भी व्यक्ति मेरे अभिभाष्य के पुत्र से कोई लेने देन करेगा या सम्बन्ध व समव्यवहार रखेगा तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा। मेरे अभिभाष्य की कोई जिम्मेदारी नही होगी। सूचित रहे।
दिनांक-12/10/25 (वसीम खान) एडवोकेट
स्थान-जयपुर मो.-9680578088

आम सूचना सर्व साधारण को सुचित किया जाता है, कि वाके महानगर जयपुर, झोटवाडा, संजय नगर में प्लाट नम्बर 133, श्री अब्दुल सलीम खॉन पुत्र बशीर खॉन एक मात्र मालिक स्वामी है। श्री अब्दुल सलीम खॉन का पुत्र श्री मोहम्मद शब्बीर अपने पिता श्री अब्दुल सलीम के कहने पर नही चलता है, ना ही उनकी देख-रेख करता है, ना ही उन्हे खर्चा देता है। मोहम्मद शब्बीर ने कई लोगो से उधार पैसा भी ले रखा है। श्री मोहम्मद सलीम ने अपने पुत्र मोहम्मद शब्बीर को अपनी जायदाद से बेदखल कर रखा है। मोहम्मद शब्बीर को कोई उधार पैसा नही दे। यदि कोई भी व्यक्ति मोहम्मद शब्बीर को उधार पैसा देता है, तो वह स्वयम जिम्मेदार होगा। श्री मोहम्मद सलीम व परिवार के अन्य सदस्य किसी भी वाद-विवाद के जिम्मेदार नही होगे। सूचित रहे।
जयपुर (मुजीब उर रहमान) एडवोकेट
दिनांक-12/10/2025 मो.-9587860191

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
व्यवहार प्रकिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4
न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम संख्या-02 जयपुर महानगर जयपुर प्रथम
विजय प्रकाश शर्मा विरूद्ध
श्रीमती उषा शर्मा व अन्य
वाद/प्रार्थना-पत्र **अस्थाई निषेधाज्ञा**
प्रार्थना-पत्र संख्या 227/2025
विजय प्रकाश शर्मा पुत्र स्व. श्री हरीप्रसाद शर्मा, उम्र-72 (बहत्तर) वर्ष, जाति-ब्राह्मण, निवासी प्लॉट नम्बर-9 (नौ) शिवपुरी, सोड़ाला, जयपुर, राजस्थान।
बनाम
1. अप्रार्थी संख्या 2 श्रीमती इच्छा शर्मा पुत्री स्व. श्री हरीप्रसाद शर्मा पत्नी श्री राजेन्द्र शर्मा उम्र-75 (पचहत्तर) वर्ष, जाति-ब्राह्मण, निवासी कृष्णापुरी, बिड़ला मंदिर के पास, वृन्दावन रोड, मथुरा, उत्तर प्रदेश व निवासी प्लॉट नम्बर-9 (नौ) शिवपुरी, सोड़ाला, जयपुर, राजस्थान।
2. अप्रार्थी संख्या-4 श्रीमती प्रभाव शर्मा पुत्री स्व. श्री हरीप्रसाद शर्मा पत्नी श्री संदीप शर्मा उम्र-62 (बासठ) वर्ष, जाति-ब्राह्मण, निवासी सेठी कॉलोनी, उज्जैन, मध्यप्रदेश व निवासी प्लॉट नम्बर-9 (नौ) शिवपुरी, सोड़ाला, जयपुर, राजस्थान।
उक्त प्रार्थी ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि है।
अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 16 माह 10 सन् 2025 को 10:30 ए.एम. पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेगे तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।
यह आज ता. 7 माह 10 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।
आज्ञा से-वरिष्ठ रीडर
मोहर अदालत **अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-02 जयपुर महानगर-प्रथम**

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल बनी "जीवन का वरदान"

-कार्यालय संवाददाता-

- **मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना ने दिया 2.5 लाख गंभीर रोगियों को नया जीवन**

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे गंभीर रोगियों के लिए जीवनदायिनी साबित हो रही है। इस योजना ने हजारों ऐसे रोगी, जिन्होंने कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी, हृदय, गुर्दा या अन्य गंभीर रोगों के कारण जीवन की उम्मीद छोड़ दी थी, उन्हें नया जीवन दिया है। विगत करीब डेढ़ वर्ष के समय में ही इस योजना ने लगभग 2.5 लाख गंभीर रोगियों को 1900 करोड़ रुपए का कैशलैस उपचार देकर जीवन का वरदान दिया है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार में संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना में कई खामियां थीं। इसके चलते गंभीर रोगियों को समय पर पूरा इलाज नहीं मिल पाता था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गरीब एवं जरूरतमंद रोगियों की तकलीफ को समझा और पूर्व में संचालित योजना के स्थान पर सुगम एवं सुलभ कैशलेस उपचार के लिए 19 फरवरी, 2024 से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना शुरू की। पैकेज की संख्या बढ़ाए जाने और विभिन्न सुधार होने से यह योजना गंभीर रोगियों के लिए जीवनदायिनी बन गई।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि योजना में सबसे पहले कैंसर के 73 नए डे केयर पैकेज जोड़े गए। इसके बाद इसमें चरणबद्ध रूप से जीरियाट्रिक केयर पैकेज, किशोरों के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के लिए पैकेज, ओरल कैंसर, विशेष योग्यजनों के लिए नए पैकेज, रोबोटिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी एण्ड स्किन ट्रांसप्लाट, कार्डियोथोरेसिक एण्ड वेस्कुलर सर्जरी तथा आयुष सहित अन्य पैकेज शामिल किए गए और पिछली योजना में 1800 पैकेज के मुकाबले इसमें करीब 2200 पैकेज हो गए। योजना का दायरा बढ़ने से गंभीर रोगियों को उपचार लेने में आसानी हुई और लोगों का जीवन बचाना संभव हो सका।

राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री हरजीलाल अटल ने बताया कि विगत करीब डेढ़ वर्ष के समय में ही इस योजना के तहत लगभग ढाई लाख गंभीर रोगियों को करीब 1900 करोड़ रूपए का कैशलेस उपचार उपलब्ध करवाया गया है।

एच.के. फाइनेंसर्स प्राइवेट लिमिटेड
सीआईएन: U99999RJ1993PTC035285
रजि. कार्यालय: 'राधे-राधे', डी-103, यशोदा पथ, श्याम नगर, जयपुर-302019 (राज.)
ईमेल आईडी: hkfinancierspvtltd@gmail.com संपर्क नंबर: 9799942106

संयुक्त सार्वजनिक सूचना

[मास्टर निर्देश के पैराग्राफ 42.3 के अनुसार - भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - स्केल आधारित विनियमन) निर्देश, 2023 (जिसे आगे "निर्देश" कहा जाएगा) जिसका संदर्भ संख्या DoR.FIN. REC. NO.45/ 03.10.119/2023-24, दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 (समय-समय पर अद्यतन) है]।

यह नोटिस एच.के. फाइनेंसर्स प्राइवेट लिमिटेड **("कंपनी")** द्वारा श्रीमती कुसुम गनेरीवाला **("निदेशक 1")**, श्री आदर्श गनेरीवाला **("निदेशक 2")** (सामूहिक रूप से **"निदेशक"** कहा जाता है), के साथ संयुक्त रूप से जारी किया जा रहा है। श्री दीपेंद्र सिंह **("प्रस्तावित निदेशक 1")**, श्री पराक्रम सिंह राठौर **("प्रस्तावित निदेशक 2")**, श्रीमती विजय लक्ष्मी शेखावत **("प्रस्तावित निदेशक 3")**, श्रीमती कनिका सिंह **("प्रस्तावित निदेशक 4")** और श्री भाग चंद जैन **("प्रस्तावित निदेशक 5")** (सामूहिक रूप से **"प्रस्तावित निदेशक"** के रूप में संदर्भित), निर्देशों के पैराग्राफ 42.3 के अनुसार।

पृष्ठभूमि: कंपनी एक निजी लिमिटेड कंपनी है जो गैर-जमा लेने वाली गैर-प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकृत है, जिसे आरबीआई द्वारा निर्देशों के तहत **बेस लेयर में एनबीएफसी-निवेश और क्रेडिट कंपनी (एनबीएफसी-आईसीसी)** के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक **("आरबीआई")** के साथ पंजीकरण प्रमाण पत्र के माध्यम से पंजीकृत है, जिसका नंबर बी-10.00222 है, जिसका सीआईएन: U99999RJ1993PTC035285 है, और इसका पंजीकृत कार्यालय 'राधे-राधे', डी-103, यशोदा पथ, श्याम नगर, जयपुर-302019 (राजस्थान) में है। कंपनी निवेश और ऋण के कारोबार में लगी हुई है। वर्तमान में, कंपनी के प्रबंधन में दो निदेशक शामिल हैं: **निदेशक 1** श्रीमती कुसुम गनेरीवाला, पत्नी स्वर्गीय श्री हेमंत कुमार गनेरीवाला हैं, जो 'राधे-राधे', डी-103, यशोदा पथ, श्याम नगर, जयपुर-302019 (राजस्थान) में रहते हैं; **निदेशक 2** श्री आदर्श गनेरीवाला, पुत्र स्वर्गीय श्री हेमंत कुमार गनेरीवाला हैं, जो 'राधे-राधे', डी-103, यशोदा पथ, श्याम नगर, जयपुर-302019 (राजस्थान) में रहते हैं। प्रबंधन में बदलाव के लिए प्रस्तावित निदेशकों में शामिल हैं: प्रस्तावित **निदेशक 1** श्री दीपेंद्र सिंह, पुत्र श्री सुरेंद्र सिंह हैं, जो ए-181, तारानगर-ए, यमुना पथ, झोटवाड़ा, जयपुर-302012 (राजस्थान) में रहते हैं; **प्रस्तावित निदेशक 2** श्री पराक्रम सिंह राठौड़, पुत्र श्री राजेंद्र राठौड़ हैं, जो 54, गीता पथ, सूरज नगर-पश्चिम, सिविल लाइन्स, सोडाला, जयपुर-302006 (राजस्थान) में रहते हैं; **प्रस्तावित निदेशक 3** श्रीमती विजय लक्ष्मी शेखावत, पत्नी श्री दीपेंद्र सिंह हैं, जो प्लॉट नंबर 32, तारानगर-ए, यमुना पथ, झोटवाड़ा, जयपुर-302012 (राजस्थान) में रहती हैं; प्रस्तावित **निदेशक 4** श्रीमती कनिका सिंह, पत्नी श्री पराक्रम सिंह राठौड़ हैं, जो 54, गीता पथ, सूरज नगर-पश्चिम, सिविल लाइन्स, सोडाला, जयपुर-302006 (राजस्थान) में रहती हैं; **प्रस्तावित निदेशक 5** श्री भाग चंद जैन, पुत्र श्री रतन लाल जैन हैं, जो 53, रतन निवास, दुर्गा विहार, सेंट पॉल्स स्कूल के पीछे, दुर्गापुरा, जयपुर-302018 (राजस्थान) में रहते हैं।

प्रबंधन में प्रस्तावित परिवर्तन: कंपनी के निदेशक मंडल में 2 (दो) मौजूदा निदेशकों को हटाकर और उनके स्थान पर 5 (पाँच) नए प्रस्तावित निदेशकों की नियुक्ति करके परिवर्तन का प्रस्ताव है। इसके परिणामस्वरूप कंपनी के 30% से अधिक निदेशकों में परिवर्तन होगा, इसलिए निदेशों के पैरा 42 के तहत RBI की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।

RBI की स्वीकृति: निदेशों के अनुसार, RBI ने कंपनी को जारी 9 अक्टूबर, 2025 के अपने पत्र, संदर्भ संख्या S495/01.13.049/2025-26 के माध्यम से कंपनी के प्रबंधन में परिवर्तन के लिए अपनी पूर्व लिखित स्वीकृति प्रदान की है।

प्रबंधन में प्रस्तावित परिवर्तन, निदेशों के पैरा 42.3 के प्रावधानों के अनुसार, इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 (तीस) दिनों की समाप्ति पर प्रभावी होगा।

कोई भी व्यक्ति जो किसी भी स्पष्टीकरण की मांग कर रहा है और/या प्रबंधन में प्रस्तावित परिवर्तन पर कोई आपत्ति रखता है, वह इस सूचना की तिथि से 30 (तीस) दिनों के भीतर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के पते पर निदेशक श्रीमती कुसुम गनेरीवाला को लिख सकता है या hkfinancierspvtltd@gmail.com पर ईमेल कर सकता है।

इस सूचना की एक प्रति कंपनी के पंजीकृत कार्यालय 'राधे-राधे', डी-103, यशोदा पथ, श्याम नगर, जयपुर-302019 (राजस्थान) में भी उपलब्ध है।

एसडी/-	एसडी/-	एसडी/-	एसडी/-
एच.के. फाइनेंसर्स प्राइवेट लिमिटेड	**दीपेंद्र सिंह**	**पराक्रम सिंह राठौड़**	**कुसुम गनेरीवाला**
एसडी/-	एसडी/-	एसडी/-	एसडी/-
श्रीमती कनिका सिंह	**विजय लक्ष्मी शेखावत**	**भाग चंद जैन**	**आदर्श गनेरीवाला**